

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)  
 पीठासीन अधिकारी : श्री म. ए. वी. २. प्रसाद कागड RAS  
 प्रकरण संख्या १३/२०१९  
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १२८ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६  
 उनवान

श्री रामप्रसाद जाट नि. क्षेत्रावा नगर शाहपुरा

बनाम - प्रार्थी/प्रार्थीगण  
 गंगालीला मांगु मील कौरा नि. कलिया रूड़

उपस्थित :- श्री रामप्रसाद जाट  
 कलिया रूड़ प्रार्थीगण - विपक्षी/विपक्षीगण

निर्णय दिनांक ११-९-१९  
 प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १२८ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६ के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम कलिया रूड़ तहसील शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर १४६/३५५८ रकबा १.२६ हे०

कुल कित्ता १ रकबा १.२६ हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कलिया रूड़ संवत् २०७६ से २०७९ तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कलिया रूड़ में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात कित्ता १ रकबा १.२६ हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस २५०० रूपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तफसील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ११-९-१९ को सर्रे इजलास सुनाया गया।



न्यायालय अधिकारी एवं  
 आराजीयात  
 महायक कलेक्टर  
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/ पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

- ५४ -  
 न्यायालय अधिकारी एवं  
 महायक कलेक्टर  
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)